



Notice No: AJU/R/811

Date: 04<sup>th</sup> August, 2025

## **NOTICE**

### **Subject: Mandatory Guidelines for Students Bringing Vehicles (Two-wheeler) to Campus**

All students are hereby informed that with effect from 1st August 2025, the following vehicle-related regulations are being strictly enforced in and around the University premises:

- 1. No entry for two-wheeler riders without helmet. This is to be observed under all circumstances.**
- 2. Two-wheeler riders without helmet are not allowed to park in the designated external parking area.**
- 3. Two-wheeler owners must ensure that the following documents are valid and readily available for inspection at all times:**
  - Registration Certificate (RC)
  - Pollution Under Control (PUC) Certificate
  - Valid Insurance
  - Driving Licence

Students are also informed that only two-wheelers are allowed.

**Four-wheelers are strictly not permitted for students**, and if any student brings a four-wheeler, the University will not be responsible for any mis-happening, damage, or loss arising out of it.

The designated parking area for two-wheelers is located outside the campus premises only. If any vehicle is parked elsewhere, the University will not be responsible for any mishap, loss or inconvenience caused.

Parking is strictly at the vehicle owner's risk. The University will not be held responsible for any loss or damage caused to the vehicle or its belongings.

Non-compliance with the above will result in denial of entry and parking access.

All Deans and Heads of Departments are requested to inform their respective teams and ensure strict compliance with this directive.

Copy to:

1. PS to Vice Chancellor
2. PS to Pro Vice-Chancellor
3. PS to Director
4. Office of the Registrar
5. Director Campus /DSW
6. Finance Officer
7. Dean/ HOD/ PC of the School/Department
8. All Officers
9. Concerned Personnel

By the order of the Vice Chancellor



**ARKA JAIN**  
**University**  
Jharkhand



सूचना संख्या : AJU/R/811

दिनांक : 04.08.2025

### सूचना

**विषय : विश्वविद्यालय परिसर में दोपहिया वाहन लाने वाले छात्रों के लिए अनिवार्य दिशा-निर्देश**

सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 01.08.2025 से निम्नलिखित वाहन-सम्बन्धी नियमों को विश्वविद्यालय परिसर एवं उसके आसपास सख्ती से लागू किया जा रहा है :

1. बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालकों को परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह सभी परिस्थिति में लागू रहेगा।
2. बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालकों को बाहरी पार्किंग क्षेत्र में भी पार्किंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. सभी दोपहिया वाहन चालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि निम्नलिखित दस्तावेज़ वैध हो और कभी भी जांच के लिए उपलब्ध हो :
  - पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC)
  - प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC)
  - वैध बीमा
  - ड्राइविंग लाइसेंस

सभी छात्रों को यह भी सूचित किया जाता है कि केवल दोपहिया वाहनों की अनुमति हैं।

छात्रों के लिए चारपहिया वाहनों की अनुमति नहीं है यदि कोई छात्र चारपहिया वाहन लाता है, तो विश्वविद्यालय किसी भी दुर्घटना, नुकसान या हानि के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

दोपहिया वाहनों के लिए निर्धारित पार्किंग क्षेत्र केवल परिसर के बाहर स्थित हैं। यदि कोई वाहन अन्यत्र पार्क किया जाता है, तो तो विश्वविद्यालय किसी भी दुर्घटना, नुकसान या असुविधा के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

वाहन पार्किंग की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी स्वयं वाहन चालकों की होगी, विश्वविद्यालय वाहन या वाहन के अन्दर रखे सामान के होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

उपरोक्त नियमों का पालन न करने की स्थिति में प्रवेश और पार्किंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सभी डीन और विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे अपने-अपने विभागों को इस निर्देश के बारे में सूचित करें और सुनिश्चित करें कि इसका सख्ती से अनुपालन हो।

प्रतिलिपि:

1. कुलपति महोदय के निजी सचिव
2. प्रति-कुलपति महोदय के निजी सचिव
3. निदेशक महोदय के निजी सचिव
4. कुलसचिव कार्यालय
5. निदेशक परिसर / छात्र कल्याण अधिष्ठाता (DSW)
6. वित्त अधिकारी
7. संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / कार्यक्रम समन्वयक / विभाग
8. सभी अधिकारी
9. सम्बन्धित कर्मचारी

